

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
तहसील बैहर, जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—143 / 2014  
संस्थित दिनांक—20.02.2014  
फाईलिंग क्र.234503000562014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—गढ़ी,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.) ————— अभियोजन  
// विरुद्ध //

प्रकाश नागेश्वर पिता बालाराम नागेश्वर, उम्र—35 वर्ष, जाति चम्हार,  
निवासी—ग्राम गढ़ी, थाना गढ़ी,  
जिला बालाघाट (म.प्र.) ————— अभियुक्त  
—————  
// निर्णय //

(आज दिनांक—20 / 04 / 2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए एवं धारा—3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—26.01.2014 को समय रात्रि 8:00 बजे एवं उसके पूर्व से लगातार थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम गढ़ी में फरियादी श्रीमती ममताबाई के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी से दहेज की मांग कर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर, फरियादी से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से 50,000 /—रुपये के रूप में दहेज की मांग की।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर दिनांक—18.01.2017 के आदेश के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323, 506बी, 342 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए एवं धारा—3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम राजीनामा योग्य नहीं होने से इन धाराओं में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—28.01.14 को फरियादी श्रीमती ममताबाई ने थाना बजाग, जिला डिण्डोरी में जाकर एक लिखित आवेदन दिया था कि दिनांक—26.01.14 को उसके पति अभियुक्त प्रकाश नागेश्वर द्वारा दहेज की मांग कर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की

धमकी देकर घर से निकाल दिया गया है। फरियादी का विवाह 8 वर्ष पूर्व अभियुक्त से जाति रीति-रिवाज अनुसार हुआ था। अभियुक्त के संसर्ग से उसे एक पुत्र व एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। अभियुक्त विवाह के समय से मनिहारी का कार्य करता था और उसके बाद से अपने पिता के पास फरियादी और बच्चों को लेकर चला गया था, तब से अभियुक्त कोई काम नहीं करता है। शराब पीकर फरियादी के साथ मारपीट करता है। फरियादी को अपने पिता से 50,000/-रुपये लाने की मांग करता है। फरियादी की रिपोर्ट के आवेदन के आधार पर से पुलिस थाना बजाग, जिला डिण्डोरी ने [अप.क्र.0/14](#) की रिपोर्ट पंजीबद्ध कर घटनास्थल थाना गढ़ी का होने के कारण असल कायमी के लिए पुलिस थाना गढ़ी, जिला बालाघाट भेजा गया था। पुलिस थाना गढ़ी ने अपराध क्रमांक-10/2014 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-26.01.2014 को रात्रि 8:00 बजे एवं उसके पूर्व से लगातार थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम गढ़ी में फरियादी श्रीमती ममताबाई के पति होते हुए दहेज की मांग को लेकर फरियादी से दहेज की मांग कर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती ममताबाई से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से 50,000/-रुपये के रूप में दहेज की मांग की ?

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-**

6— ममताबाई अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। अभियुक्त उसका पति है। अभियुक्त से उसका घरेलु बात पर से विवाद हो गया था। उसने अभियुक्त के विरुद्ध थाना बजाग में रिपोर्ट की थी। साक्षी ने रिपोर्ट के लिए आवेदन दिया था, जो प्रदर्श पी-1 है। लिखित आवेदन के आधार पर प्रदर्श पी-2 की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कहना है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि उसका, उसके पति

से विवाद नहीं हुआ था। साक्षी के पुलिस ने बयान नहीं लिये थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष की घटना का समर्थन नहीं किया है।

7— धनीराम अ.सा.2 एवं प्यारीबाई अ.सा.3 का कथन है कि फरियादी ममताबाई उनकी पुत्री है और अभियुक्त उनका दामाद है। फरियादी का लगभग 8 वर्ष पूर्व अभियुक्त से विवाह हुआ था। वर्ष 2014 में घरेलु बात को लेकर फरियादी का अभियुक्त से विवाद हुआ था, जिसकी उसने रिपोर्ट की थी। साक्षीगण का यह भी कहना है कि उनकी पुत्री का अभियुक्त से किसी प्रकार का विवाद नहीं है। साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने क्रमशः प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। धनीराम अ.सा.2 एवं प्यारीबाई अ.सा.3 की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

8— ममताबाई अ.सा.1 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा होने के कारण ममताबाई एवं धनीराम अ.सा.2, प्यारीबाई अ.सा.3 ने उनकी साक्ष्य में इस विचारण प्रश्न की घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ममताबाई से दहेज की मांग कर फरियादी की मारपीट कर फरियादी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया।

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2 का निष्कर्ष:-**

9— ममताबाई अ.सा.1, धनीराम अ.सा.2, प्यारीबाई अ.सा.3 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने फरियादी ममताबाई से विवाह के पश्चात् प्रत्यक्ष रूप से 50,000/-रुपये दहेज की मांग की थी। इस कारण इन साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी ममताबाई से विवाह के पश्चात् परोक्ष रूप से 50,000/-रुपये के रूप में दहेज की मांग की थी।

10— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3, 4

का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त प्रकाश नागेश्वर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3, 4 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

11- प्रकरण में अभियुक्त दिनांक-08.02.14 से दिनांक-12.02.14 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12- प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

13- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट